


रभिरुदी सं० डी०(डो०)-72




भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 514] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 1978/कार्तिक 29, 1900
No. 514] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 1978/KARTIKA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

अधिस्चना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1978

का. आ. 670 (अ).—केंद्रीय सरकार, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिस्चना सं. 423 (असा.), तारीख 1 जुलाई, 1978 को अधिस्तं करतें हुए, प्रत्येक पुलिस अपर आयुक्त, पुलिस उप-आयुक्त, पुलिस अपर उप-आयुक्त और पुलिस सहायक आयुक्त को दिल्ली संघ राज्याक्षेत्र के सभी क्षेत्रों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 107, 111,

849 GI/78

(1443)

113, 115, 116, 117, 118 और 121, धारा 122 की उपधारा (1) और (2) और धारा 124 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त बनाती हैं।

[सं. क्र. 11036/3/78-कू. टी. एल./कू. टी. पी.]

कै. एम. छाबड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1978

S.O. 670(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 70 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 423 (E) dated 1st July, 1978, the Central Government hereby empowers every Additional Commissioner of Police, Deputy Commissioner of Police, Additional Deputy Commissioner of Police and Assistant Commissioner of Police to exercise and perform in relation to all areas in the Union Territory of Delhi the powers and duties of an Executive Magistrate under sections 107, 111, 113, 115, 116, 117, 118 and 121, Sub-sections (1) and (2) of section 122 and section 124 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

[No. U-11036/3/78 UTL/UTP]

K. M. L. CHHABRA, Jt. Secy.